भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1826

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

22 अग्रहायण, 1945 (शक)

सूचना प्रौद्योगिकी तथा साक्ष्य अधिनियम

1826. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नए युग के साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम और साक्ष्य अधिनियम को पुनः सक्षमीकृत करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ) 11 अगस्त 2023 को लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के अंतर्गत उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित प्रावधानों को हाल ही में संशोधित किया गया था। साक्ष्य अधिनियम के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि देश में हुई तकनीकी प्रगति को शामिल करने वाले साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिए 'भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023' नामक एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।

******